वित्त निर्देश 30/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 249/एफ 2018–04–04169/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़.

विषयः–सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12–1/2007/1–3 दिनांक 5 मार्च, 2008 के अंतर्गत नियमित हुए शासकीय सेवकों को पेंशन की पात्रता के संबंध में।

संदर्भः–1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 79/एल 2017–04–00364/वि/नि/चार, नया रायपुर दिनांक 28.2.2018
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 173/एफ 2018–04–04169/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 7.4.2018

सामान्य प्रशासन विभाग के विषयांकित ज्ञापन के अंतर्गत कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना में नियमित हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत 10 वर्ष से अनाधिक सेवा होने एवं अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य होने के कारण पेंशन की पात्रता नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका कमांक W.P.(S) No. 129/2012 बिहारी लाल जायसवाल विरूद्ध छ0ग0 शासन एवं W.P.(A) No. 209/2013 राम अवतार वर्मा विरूद्ध छ0ग0 शासन में पारित आदेश दिनांक 26.2.2015 के परिपालन में याचिकाकर्ताओं की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की गयी सेवा अवधि को पेंशन की पात्रता के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा की सीमा तक गणना हेतु शामिल करने के निर्देश जारी किये गये है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के विषयांकित ज्ञापन दिनांक 5 मार्च, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित स्थापना अथवा कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना में नियमित किये गये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की गणना के लिए शामिल करने पर यदि पेंशन की पात्रता आती है तो इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 अथवा छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)

पेंशन नियम–1979, जो भी लागू हो, के अंतर्गत उक्त न्यूनतम अवधि हेतु पेंशन की पात्रता निम्न शर्तों के अधीन दी जाये –

(1) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नियमितीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12–1/2007/1–3 दिनांक 5 मार्च, 2008 के अंतर्गत आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के पद पर किया गया हो।

(2) कर्मचारी की दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति 1.1.89 से 31.12.1997 की अवधि में हुई हो तथा उस पद पर या समकक्ष पद पर लगातार कार्य किया हो।

(3) व्यक्ति रिक्त/स्वीकृत नियमित पद के विरूद्ध पदस्थ किया गया हो और विभागीय भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता रखता हो।

(4) इन कर्मचारियों को उपादान की पात्रता श्रम नियमों के अंतर्गत होती है, अतः पेंशन नियमों के प्रावधानों के तहत् उपादान की पात्रता नहीं होगी।

(5) इन कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य होने की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत शासन द्वारा दिये गये नियोक्ता अंशदान एवं उस पर ब्याज की राशि संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28.2.2018 एवं 7.4.2018 के निर्देशानुसार राज्य शासन को वापसी/समायोजन योग्य होगी। यदि उक्त राशि आहरित कर ली गयी हो तो इसकी वापसी के उपरांत ही पेंशन भुगतान किया जायेगा।

3/ इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यलय प्रमुख की होगी। संयुक्त संचालक– कोष, लेखा एवं पेंशन भी पेंशन स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन की पात्रता हेतु सभी मापदण्डों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. के. चक्रवर्ती) 26/5/2018
संयुक्त सचिव

पृ. क्र. 250/एफ 2018–04–04169/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2018

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी